में जारी हुए

अपीलांट
...
से प्राप्त
...
बहस
...

20/1/17

कुलाय फरीकन उपस्थित । आज एसडीएम साहब अवकाश/भ्रमण/अन्य कार्यों में व्यस्त है, मिसल वास्ते ... दिनांक 9/2/17 को पेश हो

रीडर

9/2/17

वकुलाय फरीकन उपस्थित
मिसल वास्ते ... आयन्दा
दिनांक 27/3/17 को पेश हो

एस.डी.ओ.

4/17

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट व प्र.सन् उपस्थित। बहस सुनी गई।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार पुगल के आदेश दिनांक 27.3.2014 के विरुद्ध जिसके द्वारा अपीलांट के नाम वसीयत इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये, को संशोधित कर मु.नं. 60/22 की जगह 70/22 करने हेतु प्रस्तुत की गई। अपील दिनांक 30.7.15 को प्रस्तुत होने पर दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट व उसके भाई खुदाबक्स के नाम संयुक्त खाता की चक 3 PBM के मु.नं. 70/22 के कि.नं. 1/725 की 24.00 बीघा खातेदारी भूमि थी अपीलांट के भाई खुदाबक्स द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 22.11.2006 को उप पंजीयक खाजूवाला में विधि सम्मत तरीके से ...

उपखण्ड अधिकारी

रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थ के हक में
कर दी। अपीलार्थ के भाई की मृत्यु के
बाद हक अपीलार्थ ...
काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
दिनांक 27.3.14 जारी करने में कानूनी भूल
की है और अपने आदेश में मु.नं. 60/22
लिख दिया जबकि रिकार्ड में मु.नं. 70/22
है। वसीयत लेखक द्वारा वसीयत पार्ट 3 क
के आधार पर लिखी जिसमें हिन्दी में 70/22
था और लेखक ने 60/22 मानते हुए लिखी।
अतः अपील अपीलार्थ स्वीकार की जाकर पर
अपील आदेश दि. 27.3.14 को संशोधित
कर मु.नं. 60/22 की जगह 70/22 का
अंकन कर अपीलार्थ के नाम वसीयत इन्तकाल
दर्ज करने का आदेश फरमावें।

विद्वान पैरोकार राज्य ने बहस में कथन
किया कि जिस मु.नं. की वसीयत अपीलार्थ
के पक्ष में की गई थी उसी मु.नं. का
नामान्तरकरण, वसीयत के आधार पर अपीलार्थ
के पक्ष में अपीलार्थ के आवेदन पर
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.3.14
को निर्णय पारित किया गया है जो सही
है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भूल नहीं
की गई है सही निर्णय पारित किया गया है
अतः अपील अपीलार्थ निरस्त फरमाई जावे

हमने विद्वान वकील अपीलार्थ एवं
पैरोकार राज्य की बहस पर मनन किया
पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड
का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
...बीकानेर

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील में अपीलार्थी यह कहकर आया है कि उसके पक्ष में वसीयत चक 3 NHM के मु.नं. 70/22 के कि.नं. 1 ता 25 की 24.00 बीघा भूमि के संबंध में थी, लेकिन सहवन से कि.नं. 70/22 के स्थान पर 60/22 अंकित हो गया, जो संशोधन करते हुए अपील मंजूर की जावे। हमने योग्य अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं संदर्भित विधि का भी अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा वसीयत में अंकित मुरब्बा नंबर का संशोधन चाहा गया है जो इस अपील कार्यवाही के स्तर पर संभव नहीं है क्योंकि अपील जैसी कार्यवाही में कलिष्ट प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता और नामी हकों का निस्तारण भी अपील के स्तर पर किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष सक्षम न्यायालय में विधिवत वाद प्रस्तुत कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से अपील में चाहा गया अनुतोष क्षेत्राधिकार से परे है।

अत: अपील अपीलार्थी वांछित अनुतोष क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक: 27.4.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, पूगल
पूगल, जिला—बीकानेर